



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9561/2025

Sheshkaran @ Seniya S/o Shiv Kumar, Aged About 43 Years,
R/o Dhani Chak 2, KWD, Police Station Rawatsar, District
Hanumangarh, Rajasthan. (At Present Lodged In Sub-Jail,
Nohar)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Achala Ram
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

28/08/2025

प्रार्थी अभियुक्त **शेषकरण उर्फ सेनिया** की ओर से यह जमानत आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना रावतसर, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 401/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामले में प्रस्तुत किया है।

02. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने मुख्य रूप से यह तर्क दिए कि प्रार्थी अभियुक्त निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। अभियोजन कहानी के अनुसार प्रार्थी अभियुक्त से बरामदशुदा मादक पदार्थ 11 ग्राम 07 मिलीग्राम हेरोइन (चिट्टा) की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थी अभियुक्त से कोई अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण में सहअभियुक्त नूरनबी का



जमानत प्रार्थना पत्र (S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8689/2025) इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 21.07.2025 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी अभियुक्त काफी समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए प्रार्थी अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी अभियुक्त शेषकरण उर्फ सेनिया को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

06. परिणामतः प्रार्थी अभियुक्त **शेषकरण उर्फ सेनिया पुत्र शिव कुमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त पुलिस थाना रावतसर, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 401/2025 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में पचास हजार रुपये का मुचलका एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J